☎ कार्यालय / फैक्स: 05966–222792
कैम्प कार्यालय–:0135–2759796

ई–मेल: missionhortiuk@gmail.com

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड
उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत (अल्मोड़ा)

पत्रांक 176 / टूल्स / मशीन पंजीकरण / 2022–23 दिनांक: देहरादून: अप्रैल 23, 2022

विज्ञप्ति

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में औद्यानिक टूल्स, औजारों, मशीनों (Tools, Implements and Machines) से कास्तकारों को लाभान्वित करने हेतु विभाग में संचालित विभिन्न राज्यपोषित एवं केन्द्रपोषित योजनान्तर्गत राज सहायता प्रदान की जाती है। कृषकों को वितरित किये जाने वाले यन्त्रों / उपकरणों के ऐसे निर्माताओं (Original Manufacturer) को रूचि की अभिव्यक्ति (EoI) के माध्यम से सूचीबद्ध / पंजीकरण (Empanelment) करने हेतु आवेदन आमन्त्रित किये जाने हैं, जिन फर्मों / कम्पनियों के द्वारा औद्यानिक टूल्स, औजारों, मशीनों का अपने रजिस्टर्ड ब्राण्ड नेम से विनिर्मित करते हों, उन्हीं फर्मों / कम्पनियों का सूचीबद्ध / पंजीकरण दिनांक 31.03.2024 तक के लिये किया जायेगा। दरों एवं विशिष्टियों को सूचीबद्ध करने हेतु मूल निर्माता फर्मो / कम्पनियों के विभिन्न औद्यानिक टूल्स, औजारों तथा मशीनों हेतु मय विशिष्टियां एवं दरों हेतु निर्धारित प्रारूप एवं आवश्यक अभिलेख बन्द लिफाफे में कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में **दिनांक 15.05.2022** को अपरान्ह 05:00 बजे तक आमन्त्रित किये जाते हैं, जिसे **दिनांक 16.05.2022** को अपरान्ह 11:00 बजे विभाग द्वारा गठित समिति के समक्ष खोला जायेगा तथा **दिनांक 16.05.2022** को ही प्रतिभागी फर्मों / कम्पनियों के द्वारा अपने–अपने औद्यानिक टूल्स, औजारों तथा मशीनों का प्रदर्शन समिति के समक्ष कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में करना होगा।

निर्धारित प्रारूप तथा शर्तें विभागीय वेबसाइट www.shm.uk.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। निर्धारित शर्तों एवं आवश्यक अभिलेखों के साथ प्रक्रिया शुल्क की धनराशि रु0 2360 / – (बिक्री कर सहित) का बैंक ड्राफ्ट जो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत के नाम देय हो, संलग्न करना होगा।

निदेशक,
उद्यान, उत्तराखण्ड

☎ कार्यालय / फैक्स: 05966–222792
कैम्प कार्यालय–:0135–2759796
ई–मेल:missionhortiuk@gmail.com

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड

उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत (अल्मोड़ा)

Tools, Implements and Machines हेतु फर्मों के रूचि की अभिव्यक्ति (EoI) के माध्यम से पंजीकरण (Empanelment) की निर्धारित शर्तें

1. पंजीकरण हेतु सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर देनी होगीं। पंजीकरण प्रारूप के साथ प्रक्रिया शुल्क रु0 2360/–(बिक्री कर सहित) जो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत के नाम देय हो संलग्न करना होगा।
2. पंजीकरण हेतु आवेदन फार्म को विभागीय बेबसाईट **www.shm.uk.gov.in** से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
3. आवेदन पत्र मात्र मूल विनिर्माता फर्मो (Original Manufacturer) से ही स्वीकार किये जायेगें।
4. आवेदन प्रपत्र बन्द लिफाफे में जिसके ऊपर **"औद्यानिक टूल्स, औजारों तथा मशीनों हेतु पंजीकरण के लिये आवेदन"** अंकित हो, **दिनांक 15.05.2022** को अपरान्ह 05:00 बजे तक कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में जमा करना होगा।
5. पंजीकरण हेतु प्राप्त लिफाफे को विभाग द्वारा गठित समिति के सम्मुख **दिनांक 16.05.2022** को पूर्वाह्न 11:00 बजे खोला जायेगा।
6. **दिनांक 16.05.2022** को अपने–अपने Tools, Implements and Machines का गठित समिति के समक्ष कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में प्रदर्शन करना होगा।
7. पंजीकरण 02 वर्षों के लिए किया जा रहा है। परन्तु फर्म/कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए अनिवार्य अभिलेखों की वैधता तिथि समाप्त होने की स्थिति में सम्बंधित नवीनीकृत अभिलेख ससमय विभाग को प्रस्तुत किए जाने होंगे। नवीनीकृत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने की दशा में पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा।
8. पंजीकरण हेतु वर्तमान में दी गई औद्यानिक औजारों/मशीनों की दरों के भविष्य में संशोधन की स्थिति में अविलम्ब विभाग को सूचित करना होगा। अन्यथा की स्थिति में पंजीकरण किसी भी समय निरस्त किया जा सकेगा।
9. वर्तमान में पंजीकरण के पश्चात भी आवश्यकतानुसार पंजीकरण हेतु इच्छुक फर्म/कम्पनियों के पंजीकरण हेतु विभाग द्वारा विचार किया जा सकता है।
10. पंजीकृत किये जाने वाले औद्यानिक टूल्स, औजारों तथा मशीनों को कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के नियमों का पालन करते हुए आवश्यकतानुसार आई0एस0आई0/बी0आई0एस0 मार्क के हों तथा FMTTI या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से टेस्टेड होने चाहिए।
11. वर्तमान में HMNEH योजना की मार्ग निर्देशिका–2014 के अनुसार औद्यानिक यन्त्रीकरण घटक के अन्तर्गत अनुमन्य लागत एवं राज सहायता की धनराशि के प्रतिशत को दृष्टिगत रखते हुए कास्तकारों को लाभान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा संशोधित मार्ग निर्देशिका जारी होती है तो संशोधित मार्ग निर्देशिका में अनुमन्य लागत, राज सहायता के प्रतिशत व अन्य शर्तो को दृष्टिगत रखते हुए कास्तकारों को लाभान्वित किया जायेगा।

क्रमशः– .....2.....

12. फर्म/कम्पनी को सामग्री की गुणवत्ता, स्थापना, सामग्री का बदलाव (Replacement) विक्रय उपरान्त सेवा इत्यादि की भी जिम्मेदारी लेनी होगी तथा उनके द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्री की 01 वर्ष की गारन्टी/वारन्टी भी देनी होगी।
13. फर्म/कम्पनी को औद्यानिक टूल्स, औजारों तथा मशीनों को चलाने और उसके रख–रखाव की तकनीकी जानकारी से विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों/कृषकों को संन्तुष्ट करना होगा।
14. फर्म/कम्पनी द्वारा प्रस्तुत दर किसी अन्य राज्य अथवा विभाग में स्वीकृत दर से किसी भी दशा में अधिक नहीं होने व पंजीकरण की अवधि में दी गई दर से कम दर पर बिक्री नहीं किये जाने सम्बन्ध शपथ पत्र रू0 100/– के नोटराईज्ड स्टाम्प पेपर पर संलग्न करना होगा। फर्म/कम्पनी द्वारा प्रस्तुत दर अन्य राज्य अथवा विभाग में स्वीकृत दर से अधिक पायी जाती है तो सम्बन्धित फर्म/कम्पनी को ब्लैक लिस्ट करते हुए बैंक गारण्टी जब्त कर ली जायेगी।
15. औद्यानिक टूल्स, औजारों तथा मशीनों की दरें **Annuxure-1** व **Annuxure-2** (मूल दर + GST) F.O.R. (डेस्टीनेशन) सहित देनी होगी।
16. **Annuxure-3** तकनीकी बिड के अनुसार सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न करना आवश्यक है।
17. पंजीकरण वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2023–24 **(31 मार्च–2024)** तक किया जायेगा।
18. विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कास्तकार अपनी आवश्यकतानुसार किसी भी फर्म/कम्पनी से औद्यानिक मशीनों/यन्त्रों का क्रय कर सकते है। क्रय उपरान्त मूल बिल–वाउचर प्रस्तुत करते हुए विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कर लिये जाने व भौतिक सत्यापन हेतु अपनी आख्या सन्तोषजनक दिये जाने के उपरान्त सीधे किसान को RTGS/DBT के माध्यम से राजसहायता का भुगतान किया जायेगा। कास्तकार के लिखित अनुरोध करने पर ही राजसहायता की धनराशि RTGS/DBT के माध्यम से फर्म/कम्पनी को किया जा सकेगा।
19. पंजीकरण हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक से तैयार बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद जो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रंसस्करण, उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत, अल्मोडा के नाम बन्धक हो तथा दिनांक 31.03.2024 तक वैद्य हो निम्न विवरणानुसार जमा करनी होगी:–

    I) Power Operated Machine/Tools (शक्ति चालित मशीन/टूल्स की श्रेणी) के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु रू0 4.50 लाख की बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद।

    II) Manually Operated Equipment (हस्त चालित औजार जैसे– प्रुनिगं टूल्स/नर्सरी टूल्स) के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु रू0 0.50 लाख की बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद।

    III) दोनों Power Operated Machine/Tools (शक्ति चालित मशीन/टूल्स की श्रेणी) एवं Manually Operated Equipment (हस्त चालित औजार जैसे– प्रुनिगं टूल्स/नर्सरी टूल्स) के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु रू0 5.00 लाख की बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद जमा करनी होगी।
20. फर्म/कम्पनी द्वारा औद्यानिक टूल्स, औजारों तथा मशीनों पर पेन्ट से उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड, वर्ष ...., योजना का नाम .... एवं देय राज सहायता की धनराशि रू0 .... अंकित की जायेगी तथा आपूर्ति के समय कृषक का यन्त्र के साथ फोटो लेना आवश्यक होगा।
21. यदि विभाग चाहे तो पंजीकरण की प्रक्रिया व पंजीकरण की व्यवस्था को किसी भी समय नवीनीकृत अथवा समाप्त कर सकता है।
22. पंजीकरण की अवधि के दौरान यदि फर्म/कम्पनियों द्वारा विकय किए गए औजार/मशीनों की गुणवत्ता एवं रख–रखाव के सम्बन्ध में शिकायत मिलने पर विभागीय कार्यवाही की जाएगी।
23. फर्म/कम्पनी के मानक इत्यादि सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की वैद्यता तिथि 31.03.2024 से पूर्व समाप्त होती है तो फर्म/कम्पनी को नवीनीकृत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा अन्यथा फर्म/कम्पनी का पंजीकरण समाप्त कर दिया जायेगा।
24. पंजीकरण प्रस्ताव केवल मूल विनिर्माता फर्म (Original Manufacturer)/मूल विनिर्माता से ही स्वीकार किये जायेगें।

क्रमशः– .....3.....

25. यदि यन्त्रों के मूल विनिर्माता देश से बाहर के है तथा उनके द्वारा देश में फर्म/कम्पनी को Authorized Dealership दी गई है, जिससे उक्त फर्म यन्त्रों/मशीनों को देश में विक्रय कर सकती है। इस आशय का प्रमाण–पत्र, जो कि मूल विनिर्माता के द्वारा दिया गया हो, सम्बन्धित फर्म को पंजीकरण प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।

26. फर्म/कम्पनी को मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी/उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार के आदेश एवं दिशा निर्देश के अनुसार जनपद/विकासखण्ड स्तर/न्याय पंचायत तक यन्त्र उपलब्ध कराने होगें। इस हेतु फर्म/कम्पनी को जिला स्तर पर अपना नेटवर्क स्थापित करना होगा। फर्म/कम्पनी द्वारा जिले में नियुक्त अधिकृत विक्रेता के पास GSTIN NO पंजीकरण तथा विक्रय उपरान्त सेवा की सुविधा उपलब्ध करायी जानी आवश्यक होगी। फर्म/कम्पनी की यह जिम्मेदारी होगी कि वे उनके द्वारा विक्रय की गई सामग्री के लिये उचित मूल्य पर पुर्जे तथा विक्रय उपरान्त सेवा की सुविधा कृषकों को उपलब्ध कराई जायेगी। लाभार्थियों द्वारा इसके लिये अनुरोध किये जाने के 15 दिनों के अन्दर यदि यह व्यवस्था नहीं की जाती है, तो यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। विनिर्माता फर्म को अपने प्रस्ताव के साथ वर्तमान में जनपदवार उपलब्ध/नियुक्त अधिकृत विक्रेताओं/डीलरों की सूची, विक्रय उपरान्त सेवा की सुविधा प्रदान करने हेतु आवश्यक वर्कशॉप आदि के विवरण सहित जो कि फर्म के मैनेजिगं डायरेक्टर अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई हो, को संलग्न करना होगा।

27. फर्म द्वारा औद्यानिक मशीनों/यन्त्रों/उपकरणों पर लेबनिगं प्लेट को Riveted किया जाना अनिवार्य होगा, जिस पर निर्माता का नाम एवं पता मेक/मॉडल, सीरियल नम्बर, निर्माण का माह एवं वर्ष, टाईप, साईज, किस देश में निर्मित किया गया है, लिखा होना चाहिये। इसके अतिरिक्त उपलब्ध कराये जा रहे स्पेसिफिकेशन में मार्किंग/लेबलिगं हेतु दिए गए निर्देशों का पालन किया जाय।

28. फर्म/कम्पनी के द्वारा दी गई कोई भी जानकारी कभी भी असत्य पाई जाने की दशा में उस फर्म का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।

29. मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी/उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार द्वारा सूचीबद्ध/पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की परफॉर्मेन्स/आचरण पर निगरानी रखी जायेगी। विपरित सूचना मिलने पर सूचीबद्ध/पंजीकरण निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। यदि पंजीकृत फर्म/कम्पनी समयान्तर्गत आपूर्ति नहीं करती है, निम्नगुणवत्ता की आपूर्ति करती है, गलत घोषणा तथा तथ्य प्रस्तुत करती है अथवा राज्य सरकार की दृष्टि में कोई अन्य आधार जो जनहित में न हो के सम्बन्ध में मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी/उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार की शिकायत के आधार पर अनुमोदित सूची से नियमानुसार हटा दिया जायेगा।

30. आवेदन के साथ संलग्न सभी आवश्यक अभिलेखों की चैक लिस्ट संलग्न की जाये, जिसमें पृष्ठ संख्या अंकित की जाये, ताकि प्रस्ताव का परीक्षण आसानी से किया जा सके।

31. तकनीकी बिड के अनुसार आवश्यक अभिलेख संलग्न करना आवश्यक है।

32. वर्गवार सूची निम्न प्रकार है:–

1- Power Operated Machine/Tools (शक्ति चालित मशीन/टूल्स)			
1	Tractor (up to 20 PTO HP)	5.	Plant Protection equipments
2	Power Tiller	i.	Manual sprayer - Knapsack / foot operated sprayer
i.	Below 8 BHP	ii.	Powered Knapsack sprayer / Power Operated sprayer (capacity 8-12 lts)
ii.	8 BHP & above	iii.	Powered Knapsack sprayer / Power Operated sprayer (capacity 12-16 lts)
3	Tractor / Power tiller (below 20 BHP) driven equipments	iv.	Powered Knapsack sprayer / Power Operated sprayer (capacity above 16/lts)
i.	Land Development, tillage and seed bed preparation equipments	v.	Tractor mounted / Operated Sprayer (below 20 BHP)
ii.	Sowing, planting reaping and digging equipments	vi.	Tractor mounted / Operated Sprayer (above 35 BHP) / Electrostatic Sprayer
iii.	Plastic mulch laying machine		
4	Self propelled Horticulture Machinery (Fruit plucker, Tree pruners, Fruit Harvesters, Fruit Graders, Nursery Media filing machine, multipurpose hydraulic system, power operated horticulture tools for spraying, pruning, budding, grafting, shearing, water lifting pump etc.)		

2. Manually Operated Equipment (हस्त चालित औजार जैसे– प्रुनिगं टूल्स / नर्सरी टूल्स)

1	Secateurs	8	Patching knife
2	Grafting knife	9	Automatic grafting machine
3	Budding and Grafting knife	10	Edging knife
4	Pruning knife	11	Thinning scissors
5	Hedge seissors	12	Folding saw
6	Pruning saw	13	Fruit plucker
7	Branch pruner	14	Other Hand Tools

निदेशक,
उद्यान, उत्तराखण्ड

Annuxure-1

Format for Registration of Firms/Companies
Department of Horticulture & Food Processing, Goverment of Uttarakhand
Udhyan Bhawan, Chaubatia-Ranikhet (Almora)

Cash Receipt / Draft No. Date: Amount Rs. 2360.00 (with sale tax)

1) Power Operated Machine/Tools (शक्ति चालित मशीन/टूल्स)

S. No	Name and Address of Manufacturing firm/company	Name of machine / tool and Make /Model	Specifications	Power (HP & KW)	Tested by FMTTI / University / BIS (Attached Document Page No.)	Rate per piece (including all taxes) (in Rs.)	Name and address of Dealer in Uttarakhand with GSTIN No. (Attached Document Page No.)
01	02	03	04	05	06	07	08

Sign. of authorized signatory of firm

Annuxure-2

Format for Registration of Firms/Companies
Department of Horticulture & Food Processing, Goverment of Uttarakhand
Udhyan Bhawan, Chaubatia-Ranikhet (Almora)

Cash Receipt / Draft No. **Date:** **Amount Rs. 2360.00 (with sale tax)**

2) Manually Operated Equipment (हस्त चालित औजार जैसे– प्रुनिगं टूल्स/नर्सरी टूल्स आदि)

S. No	Name and Address of Manufacturing firm/company	Name of tool and Make /Model	Specifications	Tested by FMTTI / University / BIS (Attached Document Page No.)	Rate per piece (including all taxes) (in Rs.)	Name and address of Dealer in Uttarakhand with GSTIN No. (Attached Document Page No.)
01	02	03	04	05	06	07

Sign. of authorized signatory of firm

Annuxure-3

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड

उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत (अल्मोड़ा)

☎ 0135–2759799 ई–मेल: missionhortiuk@gmail.com

पंजीकरण (Empanelment) हेतु तकनीकी बिड

कमांक	विवरण	अभ्युक्ति संलग्न है या नहीं	पृष्ठ संख्या
1–	फर्म/कम्पनी की विस्तृत प्रोफाईल संलग्न करनी होगी, जिसमें फर्म/कम्पनी के कार्यालय का पता, फर्म/कम्पनी के स्वामी का नाम, फर्म/कम्पनी के निदेशक, फर्म /कम्पनी के साझेदारों का नाम/फैक्ट्री का पता अंकित हो।		
2–	प्रक्रिया शुल्क की धनराशि का विवरणः– ड्राफ्ट संख्या.....................तिथि.................... धनराशि रू0 2360.00.. बैंक ड्राफ्ट रानीखेत अल्मोड़ा में देय हो		
3–	बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद जो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड के नाम बन्धक हो– I)- बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद की संख्या ....जारी करने की तिथि...............वैधता तिथि.................धनराशि रू0............., जारीकर्ता बैंक का पूर्ण पता.. II)- बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद की संख्या ....जारी करने की तिथि...............वैधता तिथि.................धनराशि रू0............., जारीकर्ता बैंक का पूर्ण पता..		
4–	फर्म/कम्पनी का पैन नम्बर........................ की छायाप्रति।		
5–	फर्म/कम्पनी का जी.एस.टी संख्या .... की छायाप्रति		
6–	फर्म का वर्ष 2020–21 का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम रु0 5.00 करोड़ होने का सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र		
7–	दरों एवं विशिष्टियों हेतु निर्धारित Annexure-1		
8–	दरों एवं विशिष्टियों हेतु निर्धारित Annexure-2		
9–	फर्म/कम्पनी द्वारा प्रस्तुत दर किसी अन्य राज्य अथवा विभाग में स्वीकृत दर से किसी भी दशा में अधिक नहीं होने व पंजीकरण की अवधि में दी गई दर से कम दर पर बिक्री नहीं किये जाने सम्बन्ध शपथ पत्र रू0 100/– के नोटराईज्ड स्टाम्प पेपर पर संलग्न करना होगा।		
10–	फर्म के विरूद्ध किसी प्रदेश में आपूर्ति विषयक कोई विवाद/विधिक कार्यवाही/अपराधिक कार्यवाही अथवा फर्म को कभी ब्लैक लिस्ट किया गया है, जैसी भी स्थिति हो, से अवगत कराते हुए शपथ पत्र रू0 100/– के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर मूल रूप में जमा करना होगा।		
11–	औद्यानिक टूल्स, औजारों तथा मशीनों की गुणवत्ता, स्थापना, सामग्री का बदलाव (Replacement) विक्रय उपरान्त सेवा इत्यादि की भी जिम्मेदारी लेनी होगी तथा		

	उनके द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्री की 01 वर्ष की गारन्टी/वारन्टी प्रदान करने के सम्बन्ध में रू0 100.00 नोटेराईज्ड शपथ पत्र।		
12—	फर्म/ कम्पनी का कार्यालय अथवा डीलर उत्तराखण्ड राज्य में होने का प्रमाण पत्र, जी0एस0टी0........................ एवं पैन नम्बर........................ .... सहित।		
13—	बिक्री उपरान्त सेवा उपलब्ध कराने हेतु उत्तराखण्ड में फर्म/कम्पनी या उसके अधीकृत विक्रेता के वर्कशॉप का विस्तृत विवरण।		
14—	देश से बाहर की फर्म/कम्पनी होने पर उनकी देश में Authorized Dealership का प्रमाण।		
15—	औद्यानिक टूल्स, औजारों तथा मशीनों को कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के नियमों का पालन करते हुए आवश्यकतानुसार आई0एस0आई0/बी0आई0एस0 मार्क के हों अथवा FMTTI या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्राप्त व्यवसायिक टेस्ट रिपोर्ट के विवरण का प्रारूप।		
16—	फर्म/कम्पनी के Factory का विस्तृत विवरण जहॉ पर औद्यानिक टूल्स, औजारों तथा मशीनों का निर्माण किया जाता है।		
17—	अपने Tools, Implements and Machines का साहित्य एवं फोटोग्राफ की हार्डकॉपी एवं साफ्टकॉपी (पैन ड्राईव) में उपलब्ध करानी होगी।		
18—	फर्म/कम्पनी द्वारा औद्यानिक टूल्स, औजारों तथा मशीनों का आयात विदेशों से किया जाता है तो Certificate of Importer – Exporter Code (IEC) का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।		
19—	फर्म/कम्पनी को ISO प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।		

नोट— उपरोक्त सभी कालम पूर्ण रूप से स्वयं अथवा प्राधिकृतकर्ता द्वारा भरे जाने होंगे तथा प्रमाण पत्र दिया जाना होगा कि उपरोक्त सभी कालम में दी गयी सूचनाऐं सत्य एवं प्रमाणित हैं। आवेदन के साथ अनावश्यक प्रपत्र संलग्न न किये जायें।

प्रमाण—पत्र

मेरे द्वारा उपरोक्त पंजीकरण (Empanelment) की समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अध्ययन कर लिया गया है तथा उक्त सभी शर्तो पर अपनी पूर्णतः सहमति प्रदान करता हूँ।

आवेदक/प्राधिकर्ता के हस्ताक्षर
आवेदक/प्राधिकर्ता निविदादाता का नाम—
फर्म/कम्पनी का नाम/पता/ सील
फोन नम्बर—
फैक्स नम्बर—सील